



प्रेस नोट जनपद बागपत

जनपद बागपत

दिनांक 20.04.2025

बागपत पुलिस ने 32 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत बागपत पुलिस द्वारा 32 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तों

का नाम व पता:-

1-अमजद पुत्र इरशाद निवासी मुस्तफाबाद उत्तर पर्वी दिल्ली ।

2-नासिर पुत्र नूरु निवासी कस्बा रतौल थाना खेकडा जनपद बागपत ।

3-पवन पुत्र महाराम निवासी ग्राम घिटोरा थाना खेकडा जनपद बागपत ।

4-विकास पुत्र अजब सिंह निवासी दक्षिणी बाजार कस्बा व थाना खेकडा जनपद बागपत ।

5-अक्कड पुत्र ऋषिपाल निवासी ग्राम तमेलगाढी थाना दोघट जनपद बागपत ।

6-सुनील पुत्र बलजोर निवासी कस्बा व थाना दोघट जनपद बागपत ।

7-राहुल पुत्र राणसिंह निवासी पट्टी तिरोसिया कस्बा व थाना दोघट जनपद बागपत ।

8-मदन पुत्र सीताराम निवासी पट्टी मैनमाना कस्बा टीकरी थाना दोघट जनपद बागपत ।

9-अरुण कुमार पुत्र राधेश्याम निवासी ग्राम पावला थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

10-अंकुर पुत्र रण सिंह निवासी ग्राम हरियाखेड़ा थाना बालैनी जनपद बागपत ।



- 11-जमील पुत्र कुतबुद्दीन निवासी ग्राम बसौद थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 12-ब्रजेश उर्फ दीपक पुत्र राजेन्द्र निवासी मुकीमपुर थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 13-सुऐब पुत्र गयूर निवासी ग्राम दमगढी थाना रोहटा जनपद मेरठ ।
- 14-शान मौहम्मद पुत्र अय्यूव निवासी कमरा नवावान थाना सरधना जनपद मेरठ ।
- 15-शिशपाल पुत्र अलवर निवासी ग्राम कनवाडा थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 16- कोपिन पुत्र रोहताश निवासी ग्राम बिजवाडा थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 17-विनोद पुत्र बलजोर निवासी ग्राम बिनौली थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 18-विजय तोमर पुत्र ब्रहमपाल सिंह निवासी ग्राम ढिकाना थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 19-राजन पुत्र सीता निवासी सुल्तानपुर हटाना थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 20-सुभाष पुत्र बलजीत निवासी ग्राम सुल्तानपुर हटाना थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 21-मुस्तकीम पुत्र सलाउ निवासी कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 22-फुरकान पुत्र रज्जाक निवासी ग्राम बिजरौल थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 23-सुहैल पुत्र मुस्तकीम निवासी ग्राम बिजरौल थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 24-साजिद पुत्र अहमद अली निवासी पट्टी चौधरान कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 25-जीशान पुत्र मंजूर निवासी पट्टी चौधरान कस्बा बडौत थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 26-अनीस शेख कुरैशी पुत्र शमशाद कुरैशी निवासी ग्राम कोताना थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 27-धर्मेन्द्र पुत्र जगपाल सिंह निवासी ग्राम मलकपुर थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 28-शौकीन पुत्र बाबू निवासी ग्राम हिलवाडी थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 29- हरेन्द्र पुत्र राजकुमार शर्मा निवासी ग्राम कुर्डी थाना छपरौली जनपद बागपत ।
- 30-मेहरदीन पुत्र समसु निवासी ग्राम मवीकलां थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 31-शकील अहमद पुत्र मुस्ताक अली निवासी कस्बा बागपत थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
- 32-इस्लाम पुत्र बदरुद्दीन निवासी ग्राम मवीकलां थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1-थाना बडौत पुलिस टीम ।
- 2-थाना सिंघावली अहीर पुलिस टीम ।
- 3-थाना दोघट पुलिस टीम ।
- 4-थाना खेकडा पुलिस टीम ।
- 5-थाना बिनौली पुलिस टीम ।
- 6-थाना छपरौली पुलिस टीम ।
- 7-थाना कोतवाली बागपत पुलिस टीम ।
- 8-थाना चांदीनगर पुलिस टीम ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत

दिनांक 20.04.2025

थाना बडौत पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त (थाना बडौत का टॉप 10, हिस्ट्रीशीटर व शराब माफिया अपराधी) को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के



अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार किया गया है जो कि थाना बडौत का टॉप 10 अपराधी/शराब माफिया व हिस्ट्रीशीटर है जिसका हिस्ट्रीशीट नम्बर 690ए है ।

उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना बडौत पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार वारंटी/अभियुक्त का नाम व पता-

हरेन्द्र सिंह पुत्र सतपाल निवासी ग्राम बावली पट्टी मोल्हू थाना बडौत जनपद बागपत।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0 80/17 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना बडौत जनपद बागपत ।

2.मु0अ0सं0 105/15 धारा 60/72 आबकारी अधिनियम, 307/34 भादवि व 25 आर्म्स एक्ट थाना बडौत जनपद बागपत ।

- 3.मु0अ0सं0 382/17 धारा 60 आबकारी अधिनियम, 272/273 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 4.मु0अ0सं0 415/24 धारा 323/452/504/506 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 5.मु0अ0सं0 495/15 धारा 60/72 आबकारी अधिनियम थाना बडौत जनपद बागपत।
- 6.मु0अ0सं0 557/15 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 7.मु0अ0सं0 694/15 धारा 60/72 आबकारी अधिनियम थाना बडौत जनपद बागपत।
- 8.मु0अ0सं0 839/19 धारा 63 आबकारी अधिनियम थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 9.मु0अ0सं0 1032/20 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 10.मु0अ0सं0 1120/17 धारा 60/72 आबकारी अधिनियम थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 11.मु0अ0सं0 1213/18 धारा 63/72 आबकारी अधिनियम थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 12.मु0अ0सं0 1459/18 धारा 63/72 आबकारी अधिनियम थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 13.मु0अ0सं0 330/20 धारा 63/72 आबकारी अधिनियम थाना बडौत जनपद बागपत।
- 14.मु0अ0सं0 159/20 थाना 147/148/149/307 भादवि थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 15.मु0अ0सं0 160/20 धारा 63 आबकारी अधिनियम व 272/273 थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 16.मुं0अ0सं0 243/14 धारा 60 आबकारी अधिनियम व 120बी/420 भादवि थाना रमाला जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री विकास कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 2-है0का0 22 अमित नागर थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 3-का0 550 अनिल कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।



प्रेस नोट

थाना रमाला

दिनांक-20.04.2025

थाना रमाला पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से दिल्ली से चोरी की हुई एक मो0सा0 हीरो स्प्लेण्डर प्लस नं0 UP-16AL-0204 बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से दिल्ली से चोरी की हुई एक मो0सा0 हीरो स्प्लेण्डर प्लस नम्बर UP-16AL-0204 बरामद हुई है ।



उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना रमाला पर मु0अ0सं0 93/25 धारा 345(3)/317(2)/317(5) बीएनएस पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

विशाल पुत्र विनय कुमार निवासी ग्राम रमाला थाना रमाला जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- दिल्ली से चोरी की हुई एक मो०सा० हीरो स्प्लेण्डर प्लस नं UP-16AL-0204 (सम्बन्धित मु०अ०सं० 181/2008 धारा 379 भादवि थाना आनन्द विहार दिल्ली)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- उ०नि० श्री मयंक प्रताप सिंह थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 2- उ०नि० श्री प्रियांशू देशवाल थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 3- का० 1032 ब्रजेश कुमार थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 4- का० 913 शंकर लाल बघेल थाना रमाला जनपद बागपत ।





प्रेस नोट

थाना सिंघावली अहीर

दिनांक 20.04.2025

थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 141/25 धारा 189(2)/292/196(2) बी.एन.एस में वांछित 03 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक-18.04.2025 को थाना सिंघावली अहीर पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि क्षेत्र के ग्राम बिलौचपुरा में अभियुक्तों



1. वसीम उर्फ गुडडू पठान

पुत्र बिलाल, 2. अफजाल पुत्र ईशा, 3. एजाज पुत्र शाहिद, 4. इकरार 5. इस्तकार पुत्र गण कासो, 6. हाजी इबाद पुत्र लासो, 7. कलीम पुत्र सत्तार, 8. इस्तियाक पुत्र मुस्ताक, 9. आसिफ पुत्र कल्लू, 10. नावेद पुत्र बिलाल, 11. मोहसिन पुत्र शकील, 12. समीर पुत्र ननुआ, 13. शहनवाज पुत्र रोजू, 14. इशतयाक पुत्र मुस्ताक, 15. दिलशाद पुत्र ननुआ, 16. मतलुब पुत्र शौकत, 17. काला पुत्र शाहिद, 18. राशिद पुत्र शाकिर, 19. कासिम पुत्र सराफत, 20. कासिमं पुत्र याकूब, 21. सुलतान पुत्र अमरीश निवासीगण ग्राम बिलौचपुरा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत व अन्य 30-35 अज्ञात द्वारा एकत्रित होकर हाथों में बैनर लेकर बिना अनुमति के जुलूस निकालकर नारेबाजी की गयी, जिससे साम्प्रदायिक तनाव उत्पन्न हो जाने की सम्भावना हो गयी । यह कृत्य बिना विधिक अनुमति के किया गया । इस सम्बन्ध में थाना सिंघावली अहीर पर मु0अ0सं0- 141/2025 धारा 189(2)/292 बी.एन.एस पंजीकृत किया गया तथा उक्त अभियोग की विवचेना के दौरान प्राप्त साक्ष्य के आधार पर धारा 196(2) बी.एन.एस की बढोत्तरी की गयी तथा अभियुक्तों 1. शादाब पुत्र उस्मान, 2. शानू पुत्र सुक्कन, 3. मुस्तकीम पुत्र जहीर निवासीगण ग्राम बिलौचपुरा थाना सिंघावली अहीर बागपत के नाम प्रकाश में आये ।

नोट- उक्त अभियोग में दिनांक 19.04.2025 को थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा 06 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 141/25 धारा 189(2)/292/196(2) बी.एन.एस में वांछित 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता:-

- 1-फुरकान पुत्र मौहम्मद अमरीश निवासी ग्राम बिलौचपुरा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 2-ऐजाद पुत्र लासो निवासी ग्राम बिलौचपुरा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।
- 3-अरसद उर्फ बब्बू पुत्र मतलूब निवासी ग्राम बिलौचपुरा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-व0उ0नि0 श्री मुकेश कुमार थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 2-है0का0 456 मनोज शर्मा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 3-का0 467 कुलदीप शर्मा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 20.04.2025

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 788/24 धारा 420/467/468 /471 भादवि में प्रकाश में आये एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 19.09.2024
को थाना कोतवाली
बागपत पर वादिया
दीपांजली संरक्षण
अधिकारी कार्यालय
जिला प्रोबेशन
अधिकारी विकास भवन
जनपद बागपत ने
लिखित तहरीर दी कि



अभियुक्तों 1.धर्मेन्द्र कुमार पुत्र स्व० श्री ओमकार प्रसाद, 2.आदर्श कुमार पुत्र श्री जय प्रकाश निवासीगण निवासी सुखदेवनगर थाना मझौला जनपद मुरादाबाद द्वारा अनुचित लाभ पाने के उद्देश्य से चरित्र प्रमाण पत्रों में कूटरचना कर उनके निर्गमन की दिनांक में वर्ष 2020 के स्थान पर 2022 परिवर्तित कर मिशन वात्सल्य योजनान्तर्गत जिला बाल संरक्षण इकाई एवं चाइल्ड हेल्पलाइन, बागपत में योग्य कार्मिकों की आपूर्ति व बाह्य सेवा प्रदाता एजेन्सी के चयन हेतु आवेदन किया गया । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 0788/2024 धारा 420/467/468/471 भादवि पंजीकृत किया गया ।

नोट- उक्त अभियोग की विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्य के आधार पर 1.धर्मेन्द्र कुमार पुत्र स्व० श्री ओमकार प्रसाद, 2.आदर्श कुमार पुत्र श्री जय प्रकाश निवासीगण निवासी सुखदेवनगर थाना मझौला जनपद मुरादाबाद की नामजदगी गलत पायी गई

तथा अभियुक्त अंचल कुमार पुत्र अशोक कुमार निवासी ग्राम अदलाबाद थाना निघासन जनपद लखीमपुर खीरी का नाम प्रकाश में आया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 0788/2024 धारा 420/467/468/471 भादवि में प्रकाश में आये 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अंचल कुमार पुत्र अशोक कुमार निवासी ग्राम अदलाबाद थाना निघासन जनपद लखीमपुर खीरी ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-निरीक्षक श्री वीरेन्द्र सिंह राणा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 2-का0 1066 सुमित थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

